न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प सिरोही
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 01/2015

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
छगनलाल पुत्र जवानजी सुआर जाति सुआर निासी गोयली तहसील व जिला सिरोही		सरकार जरिये तहसीलदार सिरोही जिला सिरोही

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
श्री प्रवीण के. परमार, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-सिरोही

–: निर्णय :–

दिनांकः– 5.4.18

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत राजस्व अपील संख्या 66/2012 में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2014 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि पटवारी हल्का सिरोही I द्वारा ग्राम सिरोही I के खसरा नम्बर 493 रकबा 1.35 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम में से 0.23 हैक्टेयर भूमि पर अपीलाण्ट का अतिक्रमण बताते हुए तहसीलदार सिरोही के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिस पर तहसीलदार सिरोही द्वारा दिनांक 24.09.2012 को अपीलाण्ट को पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए जुर्माना आरोपित किया एवं बेदखली के साथ साथ तीन माह के सिविल कारावास की सजा से भी दण्डित किया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलाण्ट द्वारा प्रथम अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सिरोही के समक्ष प्रस्तुत की, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील का पूर्ण विवेचन किए बिना निर्णय पारित करते हुए अपीलाण्ट की अपील खारिज की गई। जेर अपील वादस्थ भूमि के पुराने खसरानम्बर 481/1 थे। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट का सम्वत् 2005 से पुश्तैनी कब्जा काश्त था। न्यायालय तहसीलदार सिरोही द्वारा वर्ष 1979 में अपीलाण्ट के दादा दला का उपरोक्त भूमि पर दिनांक 01.07.1975 से पूर्व का कब्जा काश्त होना मानते हुए दिनांक 03.10.1980 को निर्णय पारित करते हुए नियमन हेतु उपखण्ड अधिकारी एवं आवंटन सलाहकार समिति सिरोही के 'समक्ष पत्रावली प्रेषित की गई। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट का आज दिनांक तक लगातार कब्जा काश्त है तथा अपीलाण्ट को कभी भी बेदखल नहीं किया

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-सिरोही

गया। इन समस्त तथ्यों के बावजूद भी नियमन की कार्यवाही नहीं की जाकर मात्र सिविल कारावास की सजा के बिनदु पर उक्त प्रकरण को सुनवाई हेतु पुनः अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया, जबकि प्रकरण नियमन योग्य था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित करने में कूननी भूल की है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश को अपास्त करावें।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम सिरोही I के खसरा नम्बर 493 रकबा 1.35 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम में से 0.23 हैक्टेयर की भूमि राजस्व रेकर्ड में खाता संख्या 1 में दर्ज है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमण करने के कारण अपीलाण्ट के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए आदेश बेदखली पारित किये गये है। चूंकि अपीलाण्ट द्वारा किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमण की श्रेणी में परिलक्षित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। जैर अपील आदेश से सम्बन्धित प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम सिरोही I के खसरा नम्बर 493 रकबा 1.35 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम में से 0.23 हैक्टेयर की भूमि राजस्व रेकर्ड में सरकारी खाते में दर्ज है। पटवारी हल्का सिरोही I द्वारा तहसीलदार सिरोही के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि छगनलाल पुत्र जवान जी जाति सुआर द्वारा उपरोक्त भूमि पर कब्जा कर काश्त की है, इस पर तहसीलदार सिरोही द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुए दिनांक 24.09.2012 की तारीख पेशी नियत की। उक्त आदेश की पालना में जो नोटिस जारी किया गया, वह अपीलाण्ट स्वयं अपीलाण्ट से तामील करवाया गया है, जो सम्यक तामील की परिभाषा में आने से तामील मानते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया। प्रश्न यह प्रकट होता है कि क्या उक्त भूमि का पूर्व में अपीलाण्ट के दादा दला के पक्ष में नियमितिकरण हुआ है ? इस तथ्य को अपीलाण्ट द्वारा तहसीलदार सिरोही के समक्ष के समक्ष नही उठाया तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष इस तथ्य को उठाया तो गया है, किन्तु ऐसा कोई आदेश न तो प्रथम अपीलीय न्यायलय में प्रस्तुत किया तथा न ही इस न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिससे यह प्रमाणित होता हो कि उक्त भूमि का पूर्व में अपीलाण्ट के दादा के पक्ष में नियमितिकरण किया गया हो। अपीलाण्ट उक्त भूमि पर अपना पुश्नैनी कब्जा होना बताते है, जो पश्चातवर्ती अतिक्रमण की स्वीकारोक्ति है, इसके बावजूद भी प्रथम विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा उदार रूख अपनाते हुए अपीलाण्ट को दी गई सिविल कारावास की सज़ा के बिन्दु पर प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया है, जिसमें किसी प्रकार विधिक त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती है। अब जहां तक जैर अपील आदेश पारित करने में परीक्षण न्यायालय एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया का प्रश्न है, तो

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प-सिरोही

उक्त दोनों ही विद्वान न्यायालयों द्वारा विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किये है, जिनमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा राजस्व अपील संख्या 66/2012 में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2014 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 5.4.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प सिरोही

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प-सिरोही